Factual and Action Taken Report

In the matter of

Original Application No. 494/2022

Soban Singh Rana .....Applicant

Versus

Roshan Lal Uniyal .....Respondent

I. BACK GROUND

1. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of O.A. No. 494/2022, Soban Singh Rana Vs Roshan Lal Uniyal issued inter alia following directions on 18.07.2022:

"xxx.....xxx.....xxx"

2. *It would be appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of Principal Secretary, Public Works Department, Government of Uttarakhand, State PCB and District Magistrate, Uttarkashi. Joint Committee shall meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take requisite remedial action by following due process of law. State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial – ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*

xxx.....xxx.....xxx

II. In compliance of order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 18.07.2022, the joint committee has undertaken inspection of the area in question on 08.09.2022. Following officials of the Joint Committee were part of the inspection :-

1. Smt. Minkashi Patwal, SDM, Dunda, Uttarkashi.
2. Shri Harish Pangti, Superintendent Engineer, National Highway, Public Work Department, Dehradun.
3. Shri Praveen Kush, Executive Engineer, Provisional Division, Public Work Department, Uttarkashi.
4. Shri S.K. Dimri, Asst. Scientific Officer, UKPCB, Regional Office, Dehradun.

III. OBSERVATION OF THE JOINT COMMITTEE CONSTITUTED BY HON'BLE NGT :-

निरीक्षण के समय डम्पिंग स्थल में उपस्थित अधिकारियों एवं अन्य की उपस्थिति संलग्न है।

उपरोक्त नामित सदस्यों की समिति एवं अन्य अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.09.2022 को गंगोत्री मार्ग में सैंणी नामक स्थल (निकट कचडू देवता मन्दिर) पर सड़क निर्माण में जनित मिट्टी को गंगा नदी के किनारे डम्पिंग किये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण गठित समिति के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है। **(संलग्नक–1)**:–

1. डम्पिंग स्थल जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से 15 कि0मी0 तहसील डुण्डा से 1.5 कि0मी0 निकट कचडू देवता मन्दिर, महार्षि आश्रम के निकट डाउनहित में अवस्थित है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल निजी नाप भूमि है, डम्पिंग स्थल तहसील डुण्डा क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या–718 कुल रकवा 0.160 है0 निजी नाप भूमि श्री रोशन लाल उनियाल पुत्र श्री काशीराम के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। प्रश्नगत् स्थल पर निर्माण कार्य के तहत कटान से उत्सर्जित मलवा एकत्रित कर डम्प किया गया है।

2. डम्पिंग स्थल के मध्य भाग की भौगोलिक अवस्थिति $30^0$43'14.68"N $78^0$21'36.90"E व लगभग MSL (Mean Sea Level) से लगभग 950 मीटर की ऊँचाई पर अवस्थित है। संयुक्त दल के द्वारा मौके पर मलवा डंम्पिंग स्थल पर नपाई करने पर परिक्षेत्र की लम्बाई 48.0 मीटर, चौड़ाई 41.0 मीटर एवं ढलान के अनुरूप ऊँचाई 26.0 मीटर मापी गयी है। इस प्रकार उर्ध्वाधर ऊँचाई लगभग 17 मीटर आगणित होती है। नदी तल एवं डंम्पिंग क्षेत्र के मध्य स्थित 63 मीटर दूरी का स्थल एक समतल भूमि का भाग है। जिसका सामान्य ढाल 10^0 से न्यून है। नदी के किनारे डंम्पिग क्षेत्र के आधे भाग के मध्य महार्षि आश्रम के विभिन्न भवन भी बने हैं, जो डम्पिंग क्षेत्र के मलवे के प्रवाहित होने के अवरोधक का कार्य करेंगे। डंम्पिंग स्थल पर डम्प किये गये मलवे से नदी के समीपस्थ किनारे से दूरी 63.0 मीटर मापी गयी है। प्रश्नगत स्थल पर मलवा, जिसमें मुख्यतः कटान से उत्सर्जित मिट्टी में छोटे आकार के बोल्डर्स 30 प्रतिशत व मिट्टी 70 प्रतिशत मिश्रित अवस्था में विद्यमान है। डंम्पिंग स्थल के नीचे डाउनहित में समीप स्थित भवनों एवं तदोपरान्त नदी के सुरक्षा के दृष्टिगत वायर ब्रेट दीवार का कार्य निर्माणाधीन है। डंम्पिंग स्थल के पूरब दिशा में महार्षि आश्रम के विभिन्न भवन आदि व तदोपरान्त भागीरथी नदी, पश्चिम दिशा में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 34, उत्तर दिशा में बंजर भूमि एवं दक्षिण दिशा मे नाप खेत अवस्थित है। प्रश्नगत् स्थल पर वायब्रेट एवं उपरी सतह पर बोल्डर्स जमा किये पाये गये, जिनका मापन करने के उपरान्त कुल 1650 टन आगणित हुआ है।

3. नदी में किसी भी प्रकार का मलवा/मिट्टी प्रवाहित नहीं किया जा रहा है।

4. उक्त प्रकरण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मलवे/मिट्टी डंम्पिंग से सम्बन्धित है। डंम्पिंग किये गये स्थान की निकटतम आरक्षित वन की सीमा (डुण्डा कक्ष सं0–1) से दूरी लगभग 250 मीटर है, जिस कारण उक्त डंम्पिंग क्षेत्र आरक्षित वन के अन्तर्गत नहीं आता है।

समिति के सदस्यों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त सामूहिक रूप से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुऐं हैं।

1. प्रश्नगत् डम्पिंग जोन भागीरथी नदी से 63 मीटर की दूरी पर अवस्थित है, डम्पिंग जोन नदी के मध्य अवस्थित 63 मीटर का क्षेत्र एक समतल भू–भाग है। अतः डम्पिंग क्षेत्र में जमा किये गये मलवे, जिसकी कुल ऊर्ध्वाधर ऊँचाई लगभग 17 मीटर आगणित है। डम्पिंग मलवा निरीक्षण के दौरान नदी में निस्तारित होता नहीं पाया गया।

2. प्रश्नगत स्थल पर जो एक निजी भूमि का भू–भाग है, में डम्पिंग किये जाने से पूर्व कोई पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की गयी है।

3. डम्पिंग जोन नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है, जिस हेतु पृथक से जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। अग्रत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा अपने पत्र–यूकेपीसीबी/आर.ओ.डी./एन.जी.टी./58/2022–23/3022 दिनांक 21.10.2022 द्वारा स्पष्ट किया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गैर औद्योगिक श्रेणी में चिन्हित प्रक्रियाओं के वर्गीकरण में Construction & Demolition (C&D) Waste Processing Plant को नारंगी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, एवं डम्पिंग जोन किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं है।

IV. OBSERVATION OF THE JOINT COMMITTEE CONSTITUTED BY THE DISTRICT MAGISTRATE, UTTARKASHI :-

जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी द्वारा भी दिनांक 01 अगस्त, 2022 जिसके द्वारा उपजिलाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उपनिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, पर्यावरण विशेषज्ञ, की समिति गठित की गई एवं जिलाधिकारी महोदय के उपरोक्त पत्र के क्रम में उपजिलाधिकारी डुण्डा के पत्र संख्या 174/पी0ए0–विविध/2022 दिनांक 06 अगस्त, 2022 के द्वारा कमान अधिकारी 1442 बी0सी0सी0 (ग्रेफ) तेखला, सिंचाई विभाग, वन विभाग डुण्डा रेन्ज, को भी स्थलीय निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहने को आदेशित किया गया। मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–494/2022 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2022 के अनुपालन में प्रश्नगत स्थल गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सैणी नामक स्थल (निकट कच्चडू देवता मन्दिर) के पास अवैध डम्पिंग का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण में एवं शिकायतकर्ता श्री सोबन सिंह राणा के प्रतिनिधी श्री उपेन्द्र सिंह रावत भूस्वामी प्रतिनिधी श्री रामचन्द्र उनियाल जनपद उत्तरकाशी की उपस्थिति में दिनांक 08.08.2022 को सम्पन्न किया गया, जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है। **(संलग्नक–2)** :–

प्रश्नगत डंम्पिंग स्थल जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से 15 कि0मी0 तहसील डुण्डा से 1.5 कि0मी0 निकट कच्चडू देवता मन्दिर, महर्षि आश्रम के निकट डाउनहिल में अवस्थित है, राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत स्थल निजी नाप भूमि है डम्पिंग स्थल तहसील डुण्डा क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 718 कुल रक्वा 0.160 है0 निजी नाप भूमि श्री रोशन लाल उनियाल पुत्र श्री काशीराम के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है प्रश्नगत स्थल पर निर्माण कार्य के तहत पहाड कटान से उत्सर्जित मलवा एकत्रित कर डम्प किया गया है।

खनन विभाग स्थल का सामान्य विवरण :–

प्रश्नगत डम्पिंग स्थल के मध्य भाग की भौगोलिक अवस्थिति 30°43'14.68"N 78°21'36.90"E व लगभग elevation msl (mean sea level) से 950m की ऊँचाई पर अवस्थित है संयुक्त दल के द्वारा मौके पर मलवा डम्पिंग स्थल पर नपाई करने पर परिक्षेत्र की लम्बाई 48.0 मीटर, चौड़ाई 41.0 मीटर एवं ढलान के अनुरूप ऊँचाई 26.0 मीटर मापी गई है इस प्रकार उर्ध्वाधर ऊँचाई लगभग 17 मीटर आगणित होती है। नदी तल एवं डम्पिंग क्षेत्र के मध्य स्थित 63 मीटर दूरी का स्थल एक समतल भूमि का भाग है। जिसका सामान्य ढाल 10° से न्यून है। नदी के किनारे डम्पिंग क्षेत्र के आधे भाग के मध्य महर्षि आश्रम के विभिन्न भवन भी बने है जो डम्पिंग क्षेत्र के मलवे के प्रवाहित होने के अवरोधक का कार्य करेंगे। डम्पिंग स्थल पर डम्प किये गये मलवे से नदी के समीपस्थ किनारे के दूरी 63.0 मीटर मापी गयी है प्रश्नगत स्थल पर मलवा जिसमें मुख्यतः कटान से उत्सर्जित मिट्टी में छोटे आकार के बोल्डर्स 30 प्रतिशत व मिट्टी 70 प्रतिशत मिश्रित अवस्था में विधयमान है। डम्पिंग स्थल के नीचे डाउनहिल में समीप स्थित भवनों एवं तदोपरान्त नदी के सुरक्षा के दृष्टिगत वायर ब्रेट दिवार का कार्य निर्माणाधीन दृष्टिगोचरित हुआ है डम्पिंग स्थल के पूरव दिशा में महर्षि आश्रम के विभिन्न भवन आदि व तदोपरान्त भागीरथी नदी, पश्चिम दिशा में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 34, उत्तर दिशा में बंजर भूमि एवं दक्षिण दिशा में नाप खेत अवस्थित है। प्रश्नगत स्थल पर वायरग्रेट एवं उपरी सतह पर बोल्डर्स जमा किये पाये जिनका मापन करने के उपरान्त कुल 1650 टन आगणित हुआ है। जिस के सम्बन्ध में संगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

पर्यावरण विशेषज्ञ :–

सैणी नामक तोक निकट कचडू देवता मंदिर (गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग) के किनारे श्री रोशन लाल उनियाल पुत्र श्री काशीराम उनियाल ग्राम सैणी विकासखण्ड डुण्डा जनपद उत्तरकाशी द्वारा 2000 वर्ग मीटर पर जो डम्पिंग किया जा रहा है वह गंगा नदी के लगभग 63 मीटर दूर है तथा उनके द्वारा नदी में किसी भी प्रकार का मलवा/मिट्टी प्रवाहित नहीं किया जा रहा है तथा ना ही नदी के पर्यावरण को कोई क्षति पहुंच रही है। श्री उनियाल द्वारा उक्त डम्पिंग क्षेत्र में नदी की तरफ से सुरक्षा दीवार का कार्य भी निर्माणाधीन है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा नदी में पर्यावरण प्रदूषण व नदी को रोके जाने की जो शिकायत की गई है वह जांच में सही नहीं पाई गई है।

सिंचाई विभागः–

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के द्वारा मौके पर डम्पिंग जोन का मलवा नदी के बहावह से 63 मीटर की दूरी पर पाई गई साथ में यह भी पाया गया है कि डम्पिंग जोन नाप भूमि में बना हुआ है जो श्री रोशन लाल उनियाल पुत्र श्री काशीराम उनियाल की पाई गई।

वन विभागः–

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रश्नगत स्थल गंगोत्री मार्ग में सैणी नाम स्थल का निरीक्षण उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू, वन क्षेत्राधिकारी, डुण्डा रेंज से कराया गया उक्त प्रकरण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मलवे/मिट्टी डम्पिंग से सम्बन्धित है। डम्पिंग किये गये स्थान की निकटतम आरक्षित वन की सीमा (डुण्डा कक्ष सं0–1) से दूरी लगभग 250 मी0 है जिस कारण उक्त डम्पिंग क्षेत्र आरक्षित वन के अन्तर्गत नहीं आता है।

समिति के सदस्यों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त सामूहिक रूप से निम्नलिखित निष्कर्स प्राप्त हुये हैं।

1. प्रश्नगत डम्पिंग भागीरथी नदी से 63 मी0 दूरी पर अवस्थित है, डम्पिंग जोन एवं नदी के मध्य अवस्थित 63 मी0 का क्षेत्र एक समतल भू भाग है अतः डम्पिंग क्षेत्र में जमा किये गये मलवे जिसकी कुल उर्ध्वाधर ऊँचाई लगभग 17 मीटर आगणित है। डम्पिंग मलवे के नदी में जाकर नदी जल को प्रदूषित करने की सम्भावना नहीं है।

2. प्रश्नगत स्थल पर जो एक निजी भूमि का भूभाग है, में डम्पिंग किये जाने से पूर्व कोई पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की गई है। बिना पूर्वानुमति के भूमि के स्वरूप में परिवर्तन किये जाने के उददेश्य से मलवा डम्पिंग कराये जाने एवं अवैध रूप में एकत्र किये गये बोल्डर्स के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

The reports are being submitted for the perusal of the Hon'ble NGT.

****

C/S

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–494/2022 सोबन सिंह राणा बनाम रोशनलाल उनियाल में पारित आदेश दिनांक 18.07.2022 के अनुक्रम में गंगोत्री मार्ग में सैंणी नामक स्थल (निकट कचडू देवता मन्दिर) पर सड़क निर्माण में जनित मिट्टी को गंगा नदी के किनारे डम्पिंग किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–494/2022 सोबन सिंह राणा बनाम रोशनलाल उनियाल में पारित आदेश दिनांक 18.07.2022 के अनुक्रम में गंगोत्री मार्ग में सैंणी नामक स्थल (निकट कचडू देवता मन्दिर) पर सड़क निर्माण में जनित मिट्टी को गंगा नदी के किनारे डम्पिंग किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण हेतु निम्न विभागों की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड।

तत्कम में उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्य को नामित किया गया,

1. श्रीमती मीनाक्षी पटवाल, उप जिलाधिकारी डुण्डा, उत्तरकाशी।
2. श्री हरीश पांगती, अधीक्षण अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0 देहरादून।
3. श्री प्रवीन कुश, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
4. श्री एस0के0 डिमरी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

निरीक्षण के समय डम्पिंग स्थल में उपस्थित अधिकारियों एवं अन्य की उपस्थिति संलग्न है। (संलग्नक–1)

उपरोक्त नामित सदस्यों की समिति एवं अन्य अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.09.2022 को गंगोत्री मार्ग में सैंणी नामक स्थल (निकट कचडूदेवता मन्दिर) पर सड़क निर्माण में जनित मिट्टी को गंगा नदी के किनारे डम्पिंग किये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण गठित समिति के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

1. डम्पिंग स्थल जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से 15 कि0मी0 तहसील डुण्डा से 1.5 कि0मी0 निकट कचडू देवता मन्दिर, महर्षि आश्रम के निकट डाउनहिल में अवस्थित है। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल निजी नाप भूमि है, डम्पिंग स्थल तहसील डुण्डा क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या–718 कुल रकवा 0.160 है0 निजी नाप भूमि श्री रोशन लाल उनियाल पुत्र श्री काशीराम के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। प्रश्नगत् स्थल पर निर्माण कार्य के तहत कटान से उत्सर्जित मलवा एकत्रित कर डम्प किया गया है।
2. डम्पिंग स्थल के मध्य भाग की भौगोलिक अवस्थिति **$30^0 43' 14.68"$N $78^0 21' 36.90"$E** व लगभग **MSL (Mean Sea Level)** से लगभग 950 मीटर की ऊँचाई पर अवस्थित है। संयुक्त दल के द्वारा मौके पर मलवा डंम्पिंग स्थल पर नपाई करने पर परिक्षेत्र की लम्बाई 48.0 मीटर, चौड़ाई 41.0 मीटर एवं ढलान के अनुरूप ऊँचाई 26.0 मीटर मापी गयी है। इस प्रकार उर्ध्वाधर ऊँचाई लगभग 17 मीटर आगणित होती है। नदी तल एवं डंम्पिंग क्षेत्र के मध्य स्थित 63 मीटर दूरी का स्थल एक समतल भूमि का भाग है। जिसका सामान्य ढाल 10^0 से न्यून है। नदी के किनारे डंम्पिग क्षेत्र के आधे भाग के मध्य महर्षि आश्रम के विभिन्न भवन भी बने हैं, जो डम्पिंग क्षेत्र के मलवे के प्रवाहित होने के अवरोधक का कार्य करेंगे। डंम्पिंग स्थल पर डम्प किये गये मलवे से

नदी के समीप स्थल किनारे से दूरी 63.0 मीटर मापी गयी है। प्रश्नगत स्थल पर मलवा, जिसमें मुख्यतः कटान से उत्सर्जित मिट्टी में छोटे आकार के बोल्डर्स 30 प्रतिशत व मिट्टी 70 प्रतिशत मिश्रित अवस्था में विद्यमान है। डंम्पिंग स्थल के नीचे डाउनहिल में समीप स्थित भवनों एवं तदोपरान्त नदी के सुरक्षा के दृष्टिगत वायर क्रेट दीवार का कार्य निर्माणाधीन है। डंम्पिंग स्थल के पूरब दिशा में महर्षि आश्रम के विभिन्न भवन आदि व तदोपरान्त भागीरथी नदी, पश्चिम दिशा में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 34, उत्तर दिशा में बंजर भूमि एवं दक्षिण दिशा मे नाप खेत अवस्थित है।

3. नदी में किसी भी प्रकार का मलवा/मिट्टी प्रवाहित नही किया जा रहा है।
4. उक्त प्रकरण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मलवे/मिट्टी डंम्पिंग से सम्बन्धित है। डंम्पिंग किय गये स्थान की निकटम आरक्षित वन की सीमा (डुण्डा कक्ष सं0–1) से दूरी लगभग 250 मीटर है, जिस कारण उक्त डंम्पिंग क्षेत्र आरक्षित वन के अन्तर्गत नही आता है।

समिति के सदस्यों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त सामूहिक रूप से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुऐं हैं।

1. प्रश्नगत् डम्पिंग जोन भागीरथी नदी से 63 मीटर की दूरी पर अवस्थित है, डम्पिंग जोन नदी के मध्य अवस्थित 63 मीटर का क्षेत्र एक समतल भू–भाग है। अतः डम्पिंग क्षेत्र में जमा किये गये मलवें, जिसकी कुल ऊर्ध्वाधर ऊँचाई लगभग 17 मीटर आगणित है। डंम्पिंग मलवा निरीक्षण के दौरान नदी में निस्तारित होता नही पाया गया।
2. प्रश्नगत स्थल पर जो एक निजी भूमि का भू–भाग है, में डम्पिंग किये जाने से पूर्व कोई पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की गयी है।
3. डम्पिंग जोन नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है, जिस हेतु पृथक से जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

उक्त प्रकरण पर जिलाधिकारी महोदय जनपद उत्तरकाशी के आदेश संख्या–6677/21–(2021–22), दिनांक 01 अगस्त, 2022, जिसके द्वारा उप जिलाधिकारी, अधिशासी अभियनता, लो0नि0वि0, उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, पर्यावरण विशेषज्ञ की समिति गठित की गई। गठित समिति द्वारा दिनांक 08.08.2022 में किये गये निरीक्षण की आख्या संलग्न है।

(एस0के0 डिमरी)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
यूकेपीसीबी, देहरादून

(प्रवीन कुश)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी

(हरीश पांगती)
अधीक्षण अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0
देहरादून

(मीनाक्षी पटवाल)
उपजिलाधिकारी
उत्तरकाशी

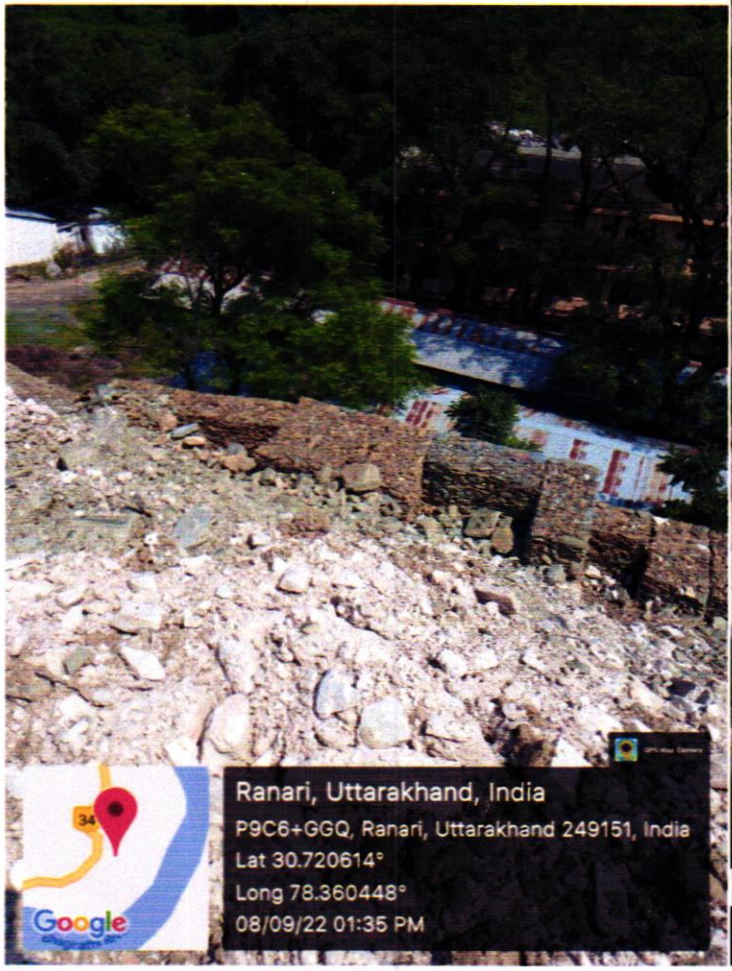
Ranari, Uttarakhand, India
P9C6+GGQ, Ranari, Uttarakhand 249151, India
Lat 30.720614°
Long 78.360448°
08/09/22 01:35 PM
Google

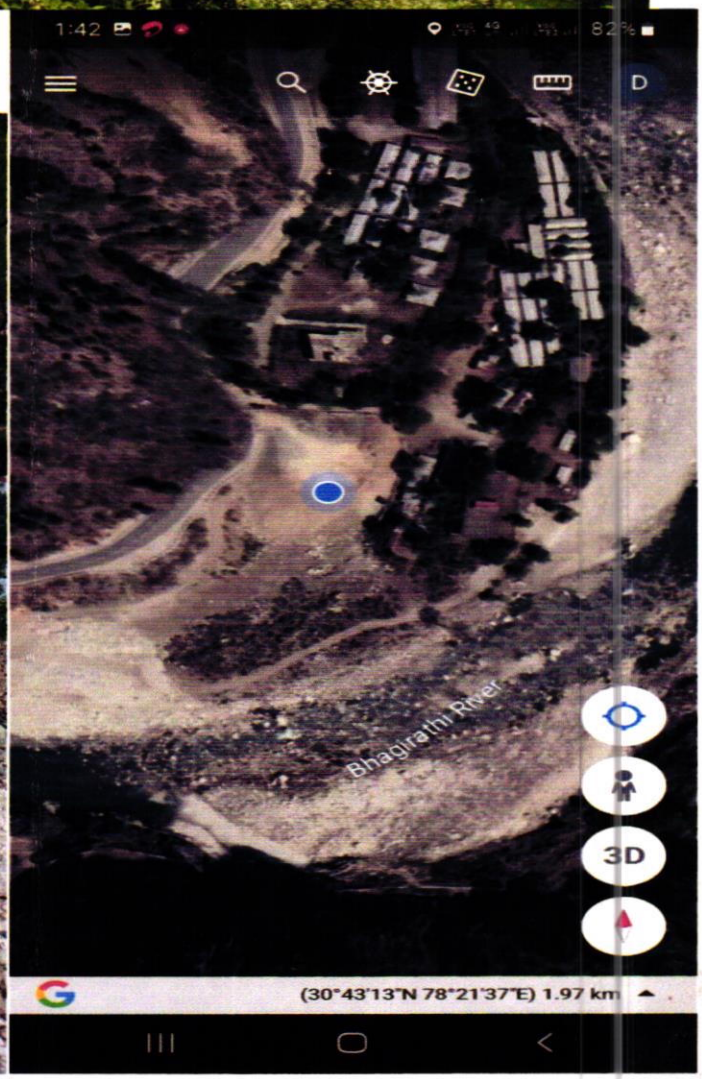
1:42
Bhagirathi River
3D
(30°43'13"N 78°21'37"E) 1.97 km

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–494/2022 Soban Singh Rana Vs. Roshan Lal Uniyal में पारित आदेश दिनांक 18.07.2022 के अनुक्रम में गंगोत्री मार्ग में सैंणी नामक स्थल (निकट कचडू देवता मन्दिर) पर सड़क निर्माण में जनित मिट्टी को गंगा नदी के किनारे डम्पिंग किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण दिनांक 08.09.2022 में उपस्थित अधिकारियों एवं अन्य की उपस्थिति का विवरण।

क0सं0	अधिकारी का नाम व पद	विभाग का नाम	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	Minakshi Pahwal	Revenue SDM Dunda	941104077	
2.	Praveen Kush	P.D. PWD Uttarkashi	9997163215	
3.	Harish Pangti	SE (NH) PWD	9639377012	
4.	S.K. Dimri	UKPCB	9837301912	
5.	Pratap Singh Chauhan	Revenue	9410312007	
6.	G.D. Prasad	Deputy Director/Geologist Geology & Mining deptt	8938954950	
7.	Pradeep Matura	Junior Engineer	7060832060	
8.	[illegible]	Revenue.	8476954243	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				

संलग्नक – 3

10

–:: संयुक्त निरीक्षण आख्या::–

जिलाधिकारी, महोदय, जनपद उत्तरकाशी के आदेश संख्या 6677/21–(2021–22), दिनांक 01 अगस्त, 2022 जिसके द्वारा उपजिलाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उपनिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, पर्यावरण विशेषज्ञ, की समिति गठित की गई (छाया प्रति संलग्न) एंव जिलाधिकारी महोदय के उपरोक्त पत्र के क्रम में उपजिलाधिकारी डुण्डा के पत्र संख्या 174/पी0ए0– विविध/2022 दिनाक 06 अगस्त 2022 के द्वारा कमान अधिकारी 1442 बी0सी0सी0 (ग्रेफ) तेखला, सिचाई विभाग, वन विभाग डुण्डा रेन्ज, को भी स्थलीय निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहने को आदेशित किया गया। मा0 एन0 जी0 टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या – 494/2022 में परित आदेश दिनाक 18.07.2022 के अनुपालन में प्रश्नगत स्थल गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सैणी नामक स्थल (निकट कच्चडू देवता मन्दिर) के पास अवैध डम्पिंग का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण मे एंव शिकायतकर्ता श्री सोबन सिंह राणा के प्रतिनिधी श्री उपेन्द्र सिह रावत भूस्वामी प्रतिनिधी श्री रामचन्द्र उनियाल जनपद उत्तरकाशी के की उपस्थिति में दिनांक 08.08.2022 को सम्पन्न किया गया, जिसकी बिन्दुबार आख्या निम्नवत् है:–

प्रश्नगत डंम्पिंग स्थल जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से 15 कि0मी0 तहसील डुण्डा से 1.5 कि0मी0 निकट कच्चडू देवता मन्दिर, महर्षि आश्रम के निकट डाउनहिल में अवस्थित है, राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत स्थल निजी नाप भूमि है डम्पिंग स्थल तहसील डुण्डा क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 718 कुल रक्बा 0.160 है0 निजी नाप भूमि श्री रोशन लाल उनियाल पुत्र श्री काशीराम के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है प्रश्नगत स्थल पर निर्माण कार्य के तहत पहाड कटान से उत्सर्जित मलवा एकत्रित कर डम्प किया गया है।

<u>खनन विभाग स्थल का सामान्य विवरण :–</u>

प्रश्गत डंम्पिंग स्थल के मध्य भाग की भौगोलिक अवस्थिति 30°43'14.68"N 78°21'36.90"E व लगभग elevation msl (mean sea level) से 950m की ऊँचाई पर अवस्थित है सयुक्त दल के द्वारा मौके पर मलवा डंम्पिंग स्थल पर नपाई करने पर परिक्षेत्र की लम्बाई 48.0 मीटर, चौडाई 41.0 मीटर एवं ढलान के अनुरूप ऊँचाई 26.0 मीटर मापी गई है इस प्रकार उर्ध्वाधर ऊँचाई लगभग 17 मीटर आगणित होती है। नदी तल एंव डंम्पिंग क्षेत्र के मध्य स्थित 63 मीटर दूरी का स्थल एक समतल भूमि का भाग है। जिसका सामान्य ढाल 10° से न्यून है। नदी के किनारे डंम्पिंग क्षेत्र के आधे भाग के मध्य महर्षि आश्रम के विभिन्न भवन भी बने है जो डम्पिग क्षेत्र के मलवे के प्रवाहित होने के अवरोधक का कार्य करेंगे। डंम्पिंग स्थल पर डम्प किये गये मलवे से नदी के समीपस्थ किनारे से दूरी 63.0 मीटर मापी गयी है प्रश्नगत स्थल पर मलवा जिसमें मुख्यतः कटान से उत्सर्जित मिट्टी में छोटे आकार के बोल्डर्स 30 प्रतिशत व मिट्टी 70 प्रतिशत मिश्रित अवस्था में विधयमान है। डंम्पिंग स्थल के नीचे डाउनहिल में समीप स्थित भवनों एंव तदोपरान्त नदी के सुरक्षा के दृष्टिगत वायर क्रेट दिवार का कार्य निर्माणाधीन दृष्टिगोचरित हुआ है डंम्पिंग स्थल के पूरव दिशा में महर्षि आश्रम के विभिन्न भवन आदि व तदोपरान्त भागीरथी नदी, पश्चिम दिशा में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 34, उत्तर दिशा में बंजर भूमि एवं दक्षिण दिशा में नाप खेत अवस्थित है। प्रश्नगत स्थल पर वायरक्रेट एंव उपरी सतह पर बोल्डर्स जमा किये पाये जिनका मापन करने के उपरान्त कुल 1650 टन आगणित हुआ है। जिस के सम्बन्ध में संगत प्रविधानों के अन्तर्गत कार्यावाही की जा रही है।

<u>पर्यावरण विशेषज्ञ:–</u>

सैणी नामक तोक निकट कचडू देवता मन्दिर (गंगोत्री राट्रीय राजमार्ग) के किनारे श्री रोशन लाल उनियाल पुत्र श्री काशीराम उनियाल ग्राम सैणी विकासखण्ड डुण्डा जनपद उतरकाशी द्वारा 2000 वर्ग मीटर पर जो डमपिग किया जा रहा है वह गंगा नदी से लगभग 63 मीटर दूर है तथा उनके द्वारा नदी में किसी भी प्रकार का मलवा/मिटटी प्रवाहित नही किया जा रहा है तथा ना ही नदी के पर्यावरण को कोई क्षति पहुॅच रही है। श्री उनियाल द्वारा उक्त डमपिग क्षेत्र में नदी की तरफ से सुरक्षा दीवार का कार्य भी निर्माणधीन है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा नदी में पर्यावरण प्रदूषण व नदी को रोके जाने की जो शिकायत की गई है वह जॉच में सही नही पाई गई है।

सिचाई विभाग:–

सिचाई विभाग के सहायक अभियन्ता एव अवर अभियन्ता के द्वारा मौके पर डंम्पिंग जोन का मलवा नदी के बहावह से 63 मीटर की दूरी पर पाई गई साथ में यह भी पाया गया है कि डंम्पिंग जोन नाप भूमि में बना हुआ है जो श्री रोशन लाल उनियाल पुत्र श्री काशीराम उनियाल की पाई गई।

वन विभाग :–

उपरोक्त विषयक सदर्भित पत्र के क्रम में प्रश्नगत स्थल गगोत्री मार्ग में सैणी नाम स्थल का निरीक्षण उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू, वन क्षेत्राधिकारी, डुण्डा रेंज से कराया गया उक्त व्रकरण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मलवे/मिटटी डंम्पिंग से सम्बन्धित है। डंम्पिंग किये गये स्थान की निकटतम आरक्षित वन की सीमा (डुण्डा कक्ष स0–1) से दूरी लगभग 250 मी0 है जिस कारण उक्त डंम्पिंग क्षेत्र आरक्षित वन के अन्तर्गत नही आता है।

समिति के सदस्यों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त सामूहिक रूप से निम्नलिखित निष्कर्स प्राप्त हुये है।

1. प्रश्नगत डम्पिग जोन भगीरथी नदी से 63 मी0 दूरी पर अवस्थित है, डम्पिग जोन एंव नदी के मध्य अवस्थित 63 मी0 का क्षेत्र एक समतल भू भाग है अतः डम्पिग क्षेत्र में जमा किये गये मलवें जिसकी कुल उर्ध्वाधर ऊँचाई लगभग 17 मीटर आगणित है। डंम्पिग मलवे के नदी में जाकर नदी जल को प्रदूषित करने की सम्भावना नही है।

2. **प्रश्नगत स्थल पर जो एंक निजी भूमि का भूभाग है, में डम्पिग किये जाने से पूर्व कोई पूर्वानुमति प्राप्त नही की गई है। बिना पूर्वानुमति के भूमि के स्वरूप में परिवर्तन किये जाने के उददेश्य से मलवा डम्पिग कराये जाने एवं अवैध रूप में एकत्र किये गये बोल्डर्स के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही पृथक से की जा रही है।**

(दशरथ नाथ)
राजस्व उपनिरीक्षक,बीरपुर।

(प्रताप सिंह चौहान)
तहसीलदार, तहसील डुण्डा ।

(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियन्ता,सिचाई विभाग उ0का0।

(प्रताप सिंह मटूडा)
पर्यावरण विशेषज्ञ अधिकारी उतरकाशी।

(पंकज अग्रवाल)
सहायक अभियन्ता,
लो0नि0वि0 उ0का0।

(रघुराज सिंह)
सहायक अभियन्ता,
बी0आर0ओ0 1442 (ग्रेफ)
तेखला उ0का0।

(मयंक गर्ग)
उप प्रभागीय वन अधिकारी
वन विभाग डुण्डा रेन्ज।

(जी0डी0 प्रसाद)
उप निदेशक/भूवैज्ञानिक
उत्तरकाशी।

(मीनाक्षी पटवाल)
उप जिलाधिकारी
डुण्डा/चिन्यालीसौड।

सत्यापित प्रति - 4 12

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

Pages 1

: 040487 ग्राम का नाम / परगना : सिंगोटी(डुण्डा) तहसील : डुण्डा जनपद : उत्तरकाशी फसली वर्ष : 1428-1433 भाग : 1

संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधारो के अधिकारमे हो

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ---- 2 ----	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ---- 3 ----	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ---- 4 ----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ---- 5 ----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ---- 6 ----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ---- 7-12 ----	टिप्पणी ---- 13 ----
प्रदीप सिह/प्रहलाद सिह/सा0 सिगोटी	1377फसे	11	0.0580	22.00	मु0आ0न्या0असि0कल0 डुण्डा के वाद संख्या 186/2015.16 धारा 143 उ.ज.वि.अ. 1950 के निर्णय दिनांक 06/6/2016 के अनुसार खसरा संख्या 474म/0.035हे0, दावी भूमि जो वादी महावीर सिह पुत्र शूरवीर सिह ग्राम सिगोटी पटटी बरसाली तहसील डुण्डा के नाम दर्ज है, को माल अभिलेखों में आवासीय प्रयोजन के लिए अकृषित (आबादी क्षेत्र) भूमि दर्ज हो, दर्ज किया ह0आर0के0 दिनांक 2/7/2016	
कुलदीप/प्रहलाद सिह 1/3 हि0/सा0 सिगोटी		13	0.0440			
अरविन्द सिह/विजैन सिह/सा0 देह		14	0.1000			
जलमदेई/विजैन सिह/सा0 देह		44	0.0910			
राजपाल सिह/हरि सिह/सा0 देह		45	0.0360			
कविन्द्रपाल सिह/सजपाल सिह/सा0 देह		46	0.0080			
बचनदेई/सजपाल सिह/सा0 देह		100	0.0050			
मनीष/राजवीर सिह/सा0 देह		101	0.0080		मु0आ0न्या0असि0कल0 डुण्डा के वाद संख्या 181/2018-19 अन्तर्गत धारा 143 उ0ज0वि0अ0 1950 के निर्णय दिनांक 08/07/2019 के अनुसार खसरा संख्या 339/0-063हे0, 340/0-036हे0, 345/0-027हे0, 346/0-015हे0 कुल रकवा 0-141हे0 दावी भूमि जो वादी श्री कुलदीप सिह पुत्र प्रहलाद सिह निवासी ग्राम सिगोटी पटटी बरसाली तहसील डुण्डा के नाम दर्ज है, को माल अभिलेखों में कृषि से गैर कृषि/आवासीय भूमि दर्ज करने के आदेश है, दर्ज किया ह0आर0के0 दिनांक 30/10/2019	
आशीष/राजवीर सिह/सा0 देह		118	0.0400			
प्रकाश/राजवीर सिह/सा0 देह		119	0.0160			
सुचिता देवी/राजवीर सिह/सा0 देह		120	0.0910			
वीरपाल सिह/शान्ति सिह/सा0 देह		121	0.0100			
जसपाल सिह/शान्ति सिह/सा0 देह		160	0.0410			
सुमेर सिह/उम्मेद सिह/सा0 देह		161	0.0160			
राजेन्द्र सिह/उम्मेद सिह/सा0 देह		164	0.0200			
महावीर सिह/शूरवीर सिह सहखातेदार 01/सा0 देह		181	0.0100		टिप्पणी संख्या 01- खसरा संख्या 474म/0.038हे0 भूमि राजवीर सिह पुत्र शान्ति सिह के नाम व अंश से सहखातेदार संख्या 01टिप्पणी संख्या 02- खसरा संख्या 460म/0.015हे0 भूमि सुमेर सिह पुत्र उम्मेद सिह के नाम व अंश से सहखातेदार संख्या 02, टिप्पणी संख्या 03- खसरा संख्या 460म/0.015हे0 भूमि सुमेर सिह पुत्र उम्मेद सिह के नाम व अंश से सहखातेदार संख्या 03 के नाम टिप्पणी संख्या 04- खसरा संख्या 474म/0.040हे0 भमि सजपाल सिह पुत्र हरि सिह के नाम व अंश से सहखातेदार संख्या 04, टिप्पणी संख्या 05- खसरा संख्या 718म/0.140हे0 भूमि राकेश पुत्र बुद्वि सिह के नाम व अंश से सहखातेदार संख्या 05 के नाम , टिप्पणी संख्या 06- खसरा संख्या 718म/0.020हे0 भूमि राकेश पुत्र बुद्वि सिह के नाम व अंश से सहखातेदार संख्या 06 के नाम	
जितेन्द्र/रामचन्द्र सहखातेदार 02/सा0 देह		328	0.0910			
नीना देवी/जितेन्द्र सहखातेदार 03/सा0 देह		329	0.0080			
विजयपाल सिह/जोत सिह सहखातेदार 04/सा0 देह		338	0.0950			
रोशन उनियाल/काशीराम सहखातेदार 05/सा0 देह		339	0.0630			
रामचन्द्र उनियाल/शंकरदत्त सहखातेदार 05/सा0 देह		345 मि.	0.0280			
प्रकाश उनियाल/नत्थीराम सहखातेदार 06/सा0 देह		346 मि.	0.0160			
महायोग फाउण्डेशन रजि0 ए 65 पंचवटी अपार्टमेन्ट		357	0.0310			
दई/प्रतिनिधि सिद्वार्थ गिरी शिष्य स्वामी कपिल/अद्वैत		374	0.0210			
उर्फ सोमनाथ गिरी उर्फ पायलट बाबा निवासी महायोग		433	0.0040			
ह0 पायलट बाबा		434	0.0380			
		447	0.0140			
		452	0.0750			
		453	0.0640			
		459 मि.	0.0610		टिप्पणी संख्या 07- खसरा संख्या 160म/0.005हे0 भूमि सुमेर सिह, राजेन्द्र सिह पुत्र उम्मेद सिह के नाम व अंश से सहखातेदार संख्या 07 के नाम	
		514	0.0350			
		515	0.0300			
		516	0.0150			
		518	0.0500			
		519	0.0380		मु0आ0 कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भू0अ0/अपर जिलाधिकारी उत्तरकाशी के वाद संख्या 02/2017 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में पारित	
		520	0.0280			

रजिस्ट्रार कानूनगो डुण्डा, उत्तरकाशी

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ---- 2 ----	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ---- 3 ----	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ---- 4 ----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ---- 5 ----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ---- 6 ----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ---- 7-12 ----	टिप्पणी ---- 13 ----
		530 532 533 534 610 611 612 626 627 628 629 718 340 460 मि. 474 मि.	0.1210 0.0510 0.0300 0.0090 0.0180 0.0150 0.0140 0.0210 0.0300 0.0340 0.1450 0.1600 0.0360 0.0690 0.1490		अभिनिर्णय दिनांक 01/12/2017 के अनुसार खाते में अंकित भूमि खसरा संख्या 345म रकवा 15 वर्ग मीटर 346म रकवा 45 वर्ग मीटर एवं 459म रकवा 16 वर्ग मीटर भूमि प्रदीप सिह पुत्र प्रहलाद सिह के नाम व अंश से पृथक कर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश है दर्ज किया ह0आर0के0 दिनांक 12/02/2021 मु0आ0 कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भू0अ0/अपर जिलाधिकारी उत्तरकाशी के वाद संख्या 02/2017 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में पारित अभिनिर्णय दिनांक 01/12/2017 के अनुसार खाते में अंकित भूमि खसरा संख्या 460म रकवा 11 वर्ग मी0 भूमि जितेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र के नाम व अंश से पृथक कर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश है दर्ज किया ह0आर0के0 दिनांक 23/02/2021 मु0आ0न्या0असि0कल0 डुण्डा के वाद संख्या 292/2021.22 अन्तर्गत धारा 143 उ.ज.वि.अ. 1950 के निर्णय दिनांक 17/06/2022 के अनुसार खसरा संख्या 718म रकवा 0.140हे0 दावी भूमि जो वादीगण रामचन्द्र उनियाल पुत्र शंकर दत्त, रोशन उनियाल पुत्र काशीराम उनियाल निवासी ग्राम सैणी (डुण्डा) पटटी बरसाली के नाम सहखातेदार के रुप में बतौर भूमिधरी दर्ज है, को माल अभिलेखों में गैर कृषि प्रयोजन हेतु अकृषित/आवासीय दर्ज करने के आदेश है, दर्ज किया ह0आर0के0 दिनांक 02/07/2022 मु0आ0न्या0असि0कल0 डुण्डा के वाद संख्या 293/2021.22 अन्तर्गत धारा 143 उ.ज.वि.अ. 1950 के निर्णय दिनांक 17/06/2022 के अनुसार खसरा संख्या 718म रकवा 0.020हे0 दावी भूमि जो वादी प्रकाश उनियाल पुत्र नत्थीराम उनियाल निवासी ग्राम सैणी (डुण्डा) पटटी बरसाली के नाम सहखातेदार के रुप में बतौर भूमिधरी दर्ज है, को माल अभिलेखों में गैर कृषि प्रयोजन हेतु अकृषित/आवासीय दर्ज करने के आदेश है, दर्ज किया ह0आर0के0 दिनांक 02/07/2022 मु0आ0न्या0असि0कल0 डुण्डा के दा0खा0 वाद संख्या 327/2021.22 अन्तर्गत धारा 143 उ.ज.वि.अ. 1950 के निर्णय दिनांक 15/07/2022 के अनुसार खसरा संख्या 460म/0.0150हे0 दावी भूमि जो वादिनी श्रीमती मीना भटट पत्नी जितेन्द्र भटट निवासी ग्राम नेताला पटटी बाडाहाट उप तहसील जोशियाडा हाल ग्राम सिगोटी पटटी बरसाली के नाम सहखातेदार के रुप में बतौर भूमिधरी दर्ज है, को माल अभिलेखों में गैर कृषि प्रयोजन हेतु	

रजिस्ट्रार कानूनगो डुण्डा

ती ा	खातेदार का नाम/ पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
-	2	3	4	5	6	7-12	13
						अकृषित/आवासीय दर्ज करने के आदेश है, दर्ज किया ह0आर0के0 दिनांक 30/07/2022 मु0आ0न्या0तह0 डुण्डा के दा0खा0 वाद संख्या 328/2021.22 अन्तर्गत धारा 143 उ.ज.वि.अ. 1950 के निर्णय दिनांक 15/07/2022 के अनुसार खसरा संख्या 460म/0.0139 हे0 दावी भूमि जो वादी श्री जितेन्द्र भटट पुत्र रामचन्द्र भटट निवासी ग्राम नेताला पटटी बाडाहाट उप तहसील जोशियाडा हाल ग्राम सिगोटी पटटी बरसाली तहसील डुण्डा के नाम सहखातेदार के रुप में बतौर भूमिधर दर्ज है, को माल अभिलेखों में गैर कृषि प्रयोजन हेतु अकृषित/आवासीय दर्ज करने के आदेश है, दर्ज किया ह0आर0के0 दिनांक 30/07/2022	
			51	2.3010			

ाँच एक कुल क्षेत्रफल: दो दशमलव तीन शून्य एक कुल भू-राजस्व: दो दो दशमलव शून्य शून्य

itally Signed by : RATAN SINGH NATH

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : डुण्डा जनपद : उत्तरकाशी

खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

दिनांक एवं समय : 08-09-2022 02:51:00 PM

Pages

भाग : 1
15
प्पणी

-13--

9.2.22

15